भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कपास भवन, 27-ए, रेसकार्स रोड, इंदौर – 452003

दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com

वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

कपास परिवहन निविदा सूचना (Tender Notice)

निगम शाखा कार्यालय, इंदौर के अधीनस्थ बुरहानपुर केन्द्र से खंडवा केन्द्र तक कपास के परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित करता है । निविदा फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के शाखा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है । इच्छुक परिवहनकर्ताओं जिनकी 20.00 लाख रूपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या मुख्यालय में जमा है या जमा करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित फार्म में निविदा दिनांक 29.11.2019 को 4.00 बजे तक या उससे पूर्व बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । निविदा उसी दिन 29.11.2019 को 4.30 बजे उपस्थित परिवहनकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी व निगम किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

निविदा संबंधी निविदा फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in **या** www.eprocure.gov.in **पर उपलब्ध है ।**

(उप महाप्रबंधक)

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कपास भवन, 27-ए, रेसकार्स रोड, इंदौर – 452003

दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com

वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

तकनीकी बिड (Technical Bid)

Bid-I

निविदा फार्म नंबर::..... निविदा फार्म जारी करने की दिनांक.....

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक : 29.11.2019 सायं 4.00 बजे

निविदा खोलने की दिनांक : 29.11.2019 सायं 4.30 बजे

कपास परिवहन कार्य का फार्म - अवधि 29.11.2019 से 30.06.2020 तक

1. **परिवहनकर्ता का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर : .....**
2. **परिवहनकर्ता के साझेदारों के नाम : .....**
3. **परिवहनकर्ता के इंदौर प्रतिनिधि का नाम : .....**
4. **परिवहनकर्ता के इंदौर प्रतिनिधि का पता व फोन नंबर : .....**
5. **बैंक का नाम व गारंटी संख्या : .....**
6. **बैंक गारंटी की वैधता दिनांक : .....**
7. **रजिस्ट्रेशन नंबर : .....**
   (फार्म के साथ फोटोप्रति संलग्न करें)
8. **स्थाई पता व फोन नंबर : .....**
9. PAN **नंबर (फोटोप्रति संलग्न करें) : .....**
10. **स्वयं के ट्रकों की संख्या तथा अनुबंधित ट्रकों की संख्या: .....**

हस्ताक्षर मय पदनाम व स्टॉम्प के साथ

दिनांक .....

स्थान .....

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कपास भवन, 27-ए, रेसकार्स रोड, इंदौर – 452003

दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com

वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

कपास परिवहन करने एवं निविदा भरने के लिये नियम व शर्ते

(1) सभी परिवहनकर्ता को कपास सड़क परिवहन द्वारा ही भेजनी पड़ेगी । यह किसी भी कारणवश सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती । इसके लिये परिवहनकर्ता को अपनी न्यूनतम दर प्रति क्विंटल देनी पड़ेगी । परिवहन कर्ता द्वारा दी गई प्रति क्विंटल दर में उचित खर्चे (इन्सीडेंटिल खर्चे) शामिल होंगे । तथा लोडिंग/अनलोडिंग की दर शामिल होगी । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस निविदा की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपुर्जो के रेट बढ़ाने या कोई टैक्स बढ़ाये जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा । उस हालत में भी परिवहनकर्ता उन्हीं दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । अत: निविदा में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती । ट्राला की दर भी दी जा सकती है ।

(2) कपास द्वार प्राप्ति (Door Delivery) के आधार पर बुक की जायेगी । दिये गये केन्द्रों से कपास कृषि उपज मंडी समिति से उठाकर गंतव्य स्थान का पता जो भी हो, पहुँचानी होगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर कपास की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 20 KM तक के पथांतर (Diversion) के लिये ट्रांसपोर्टर को कोई पथान्तर शुक्ल (Diversion Charge) नहीं दिया जायेगा ।

(3) कपास गंतव्य स्थान पर ट्रकों के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी । जो ट्रक पहले पहुँचेगा उसको पहले उतारा जायेगा । ऐसी हालत में अगर ट्रक लाईन लम्बी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर को कोई रिटेंशन चार्ज नही दिया जायेगा ।

(4) D.O. जारी होने के पश्चात ट्रांसपोर्टर को तुरन्त कपास भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा कपास के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रांसपोर्टर को G.R. No. व कपास का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय , इंदौर को सूचित करना होगा ।

(5) कपास के लदान व परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर कपास की पूरी निगरानी रखेगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान कपास तिरपालों से ढँकी होनी चाहिये । किसी कारणवश परिवहन के दौरान कपास को होने वाली हानि के लिये ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा । कपास का भार लोडिंग के पश्चात लिया जायेगा एवं उसी भार को सुपुर्द करेगा । कपास के वजन में असामान्य अंतर आता है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जायेगी । ।

(6) ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिये । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही कपास लोड की जाये ।

(7) प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को प्रति सप्ताह एक तालिका (Statement) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें कपास की मात्रा , लॉरी रसीद नंबर और डिस्पैच की तिथि, स्टेशन, जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

(8) दरें **29.11.2019** से **30.06.2020** तक के लिये मान्य होगी ।

(9) सीलबन्द निविदा एक बन्द लिफाफे में भेजनी होगी । लिफाफों पर स्पष्ट तौर पर परिवहनकर्ता का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है कि "कपास परिवहन हेतु निविदा" । फैक्स या ई.मेल से प्रेषित टेण्डर स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे ।

(10) निविदा शाखा कार्यालय, इंदौर में दिनांक **29.11.2019** को सायं **4.00** बजे तक पहुँचाने अनिवार्य होंगे । इस समय उपरान्त प्राप्त किये गये टेण्डर स्वीकार नहीं किये जायेंगे । टेण्डर उसी दिन सभी परिवहनकर्ताओं के सामने सायं **4.30** बजे खोले जायेंगे ।

(11) यदि दो या दो से अधिक परिवहनकर्ता एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो यह टेण्डर कमेटी के पूर्ण अधिकार में होगा कि किस परिवहनकर्ता को कार्य दे अथवा रिटेण्डर या सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर में प्रतिस्पर्धा करायें ।

(12) कोई भी निविदा या सभी निविदाओं या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है । हालांकि सम्बन्धित पार्टी निविदा रद्दीकरण का कारण निगम से प्राप्त कर सकती है ।

(13) टेण्डर फार्म में दर्शाई गई सभी शर्तो के फलस्वरूप यदि कोई (Dispute) शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम की इंदौर शाखा के समक्ष अधिकार क्षेत्र में होगा कि उसका क्या निर्णय लिया जाये । ऐसी हालत में उस सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्य होगा । किसी प्रकार के कानूनी झगड़े के लिये अधिकार क्षेत्र का न्यायालय इंदौर होगा ।

(14) निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्ते ध्यान में रख लेनी चाहिये । एक बार निविदा भरने के बाद यह माना जायेगा कि परिवहनकर्ता ने इस फार्म में दी गई शर्ते ध्यान से पढ़ ली व इन शर्तो को मानते है व इन शर्तो के अन्तर्गत कार्य के लिए तैयार व बाध्य हैं । नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगी ।

(15) कपास लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी G.R. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिये । यातायात के दौरान किसी भी कपास में मिलावट नहीं होनी चाहिये । कपास सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात सीधे ही गंतव्य पर पहुँचनी अनिवार्य होगी । कपास को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के आधार पर बीच में किसी ट्रांसशिपमेंट के बगैर प्रेषण करना होगा । यदि किसी कारणवश सम्भव न हो तो एक से ज्यादा ट्रांसशिपमेन्ट की अनुमति नही होगी ।

(16) कपास उपरोक्त सभी केन्द्रों से उठाकर तुरंत ही गंतव्य स्थानों पर पहुँचाना होगा । यदि कपास निर्धारित समयावधि **24** घंटे के अंदर गंतव्य पर नही पहुँचती है तो **5/-** रूपये प्रति क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से देरी की पेनल्टी परिवहनकर्ता के बिल से/अन्य देयकों से कटौती की जायेगी ।

(17) **कपास टृ बी बिल्ड के आधार पर भेजी जा सकती है । टू बी बिल्ड जाने वाली कपास का भुगतान बिल प्रेषण के 15 दिन के अन्दर-अन्दर किया जायेगा ।**

(18) टेण्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होंगे । इसके लिये ट्रांसपोर्टर की कोई शर्त मान्य नही होगी ।

(19) यदि कोई दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमरी सर्वे कराये बिना वही से ट्रक तथा साल्वेज को नही हटाया जाना है । क्षति सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, इंदौर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की ही होगी । यदि रास्ते में कोई दुर्घटना/अग्नि दुर्घटना एवं अन्य घटना हो जाती है तो Preliminary Survey **कराये बिना वहॉ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटाया जाए जब तक सर्वेयर द्वारा सर्वे का काम पूरा नही कर लिया जाता है । ट्रांसपोर्टर का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (**FIR**)** Fire Brigade Report/Non Delivery Certificate **पंचनामा आदि की कापी प्रस्तुत करेंगे । ट्रांसपोर्टर द्वारा** FIR **में अग्नि दुर्घटना में शामिल कपास की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं कार्यवाही ट्रांसपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय, इंदौर को भी तुरन्त देनी होगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी ।**

(20) ट्रासंपोर्टर द्वारा पूरे कपास की मूल बिल्टी/जी.आर प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा । (जी.आर.की फोटोप्रति मान्य नहीं होगी)

(21) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ताओं से शाखा कार्यालय, इंदौर क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानों पर कपास को पहुँचाने के लिये टू बी बिल्ड निविदा मांगी जाती है ।

(22) बैंक गारंटेड परिवहनकर्ता वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में रूपये 2000000/- की बैंक गारंटी दी हुई है तथा यह बैंक गारंटी कार्य की अवधि के दौरान संबंधित शाखा में वैद्य होनी चाहिये ।

(23) परिवहनकर्ता स्थानीय केन्द्र से कपास का डी.ओ.DO प्राप्त करेगा । निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता को अपनी बैंक गारंटी की वैधता 30.09.2020 तक करवानी होगी ।

(24) बिलों से टी.डी.एस सरचार्ज तत्कालीन नियमानुसार काटा जायेगा ।

(25) परिवहनकर्ता अपना PAN **तथा GST नंबर अवश्य प्रस्तुत करे ।**

(26) परिवहनकर्ता अपने कार्यालय के साथ-साथ आवास का पता एवं टेलीफोन/टैलेक्स/फैक्स नंबर/ई-मेल आयडी/ भी अपनी निविदा में दे । इंदौर से बाहर के वही परिवहनकर्ता निविदा दे सकेंगे जिसका कोई प्रतिनिधि या कोई शाखा इंदौर या इंदौर के नजदीक क्षेत्र में भी कार्य करता हो ताकि उससे तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके तथा जहॉ उसे डी.ओ.सौंपा जा सके ।

(27) परिवहनकर्ता द्वारा यदि निर्धारित अवधि में कपास नहीं उठाई जाती है तो दोषी होने पर वह कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित मूल परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

(28) निविदा भरने वाले परिवहनकर्ता द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा कि उसने निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है । परिवहनकर्ता निविदा सम्बन्धी शर्तो पर अपने हस्ताक्षर मय स्टॉम्प के निविदा फार्म के साथ लौटाये ।

(29) किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकंसीलेशन एक्ट 1996 के प्रोवीजन के अन्तर्गत शासित होगा ।

(30) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू या लागू होने वाले टैक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी ।

(31) कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहनकर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

(32) कर में छूट (Tax Exemption) का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।

(33) परिवहनकर्ता के प्रत्येक बिल में से 10% सुरक्षा निधि (Security deposit) की कटौती की जायेगी तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन के पश्चात काटी गई 10% राशि परिवहनकर्ता को वापिस की जायेगी ।

(34) निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से एक या अधिक परिवहनकर्ता को अनुबंधित करे ।

(35) जिन परिवाहकों की दर निगम द्वारा स्वीकृत होती है उन्हें 500/- रूपये के स्टॉम्प पेपर पर परिवहन अनुबंध करना होगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम सूचित करना होगा । परिवाहक को कार्य का आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जायेगा ।

(36) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में परिवहन कार्य अधिक होने की दशा में एक से अधिक परिवहनकर्ता को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है । जिस परिवाहक की संबंधित गंतव्य स्थान हेतु न्यूनतम दर प्राप्त होती है, को L-1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L-2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो । यदि L-2 परिवाहक L-1 द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने को इच्छुक नहीं है तो समस्त कार्य L-1 को ही आबंटित किया जायेगा ।

(37) परिवहनकर्ता को केन्द्र कार्यालय से डी.ओ.जारी होने के तत्काल पश्चात 12 घंटों के अंदर ट्रक की व्यवस्था करके कपास उठाना होगा ।

(38) परिवहनकर्ता को कपास परिवहन हेतु जारी डी.ओ.के सामने प्रतिदिन केन्द्र/गोदाम से उठाई जाने एवं कपास का विवरण शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।

(39) परिवहनकर्ताओं को निम्न प्रकार निविदा प्रस्तुत करनी होगी :-

लिफाफा 'क'	-	लिफाफा 'क' पर तकनीकी बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-I रखें ।
लिफाफा 'ख'	-	लिफाफा 'ख' पर वित्तीय बिड लिखकर उसमें तकनीकी बिड-II रखें ।
लिफाफा 'ग'	-	लिफाफा 'ग' पर परिवहन कार्य हेतु निविदा लिखकर उसमें लिफाफा 'क' और लिफाफा 'ख' रखें ।
टिप्पणी	-	हर लिफाफे पर निविदाकर्ता का नाम व पता होना चाहिये ।

(40) तकनीकी बिड-I में सफल हुए परिवहनकर्ताओं की ही वित्तीय बिड-II खोली जायेगी ।

मैंने निगम के सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ़ ली है तथा हम इन नियमों एवं शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य हैं ।

परिवहनकर्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय रबर स्टॉम्प के साथ

दिनांक ----------

(To be given on the printed letter head of the transporter)

To,

The Deputy General Manager**,**
The Cotton Corporation of India Ltd,
_____
_____

Subject : Authority letter for negotiation/finalization of Transportation rates for period **29.11.2019** to **30.06.2020**

Sir,

We hereby authorize Shri _____ (Name) _____ (Designation) of behalf of M/s _____ for negotiation and finalization of transportation rates for period **08.11.2019** to **30.06.2020**

Further, We submit that we are a sole proprietor/partnership/limited company and we have full authority to authorize Shri _____ as our representative whose specimen signature is given herein below:-

_____
(Specimen signature)

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the Authorized Signatory)
Name & Designation: _____
Name of the Firm : _____
Seal of the Firm : _____

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कपास भवन, 27-ए, रेसकार्स रोड, इंदौर – 452003

दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com

वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

वित्तीय बिड (Financial Bid)

Bid-II

कपास परिवहन के लिये निविदा अवधि दिनांक 29.11.2019 से 30.06.2020 तक

परिवहनकर्ता का नाम एवं पता ----------

टेलीफोन नंबर ----------

जिला		केन्द्र	स्टेशन जहॉ कपास जाना है	न्यूनतम दर प्रति क्विंटल कपास
बुरहानपुर	1.	बुरहानपुर	खंडवा	

- उपरोक्त दर लोडिंग/अनलोडिंग कार्य सहित एवं सभी इन्सीडेन्टल खर्चों सहित है ।
- GST की दरें नियमानुसार रहेगी ।

परिवहनकर्ता का नाम, सील एवं हस्ताक्षर